

## जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (RBD), 1969

### प्रलिस के लिये:

जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (RBD), 1969

### मेन्स के लिये:


जनसंख्या और संबद्ध मुद्दे

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (RBD), 1969 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है।

- यह इसे "राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत जन्म और मृत्यु के डेटाबेस को बनाए रखने" में सक्षमता प्रदान करेगा।

### Repository of data | A look at some of the proposed amendments to the Registration of Births and Deaths Act (RBD), 1969



## प्रमुख बडि

- **जन्म और मृत्यु का पंजीकरण:**
  - भारत में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (RBD), 1969 के अधिनियमन के साथ अनविर्य है और इस प्रकार का पंजीकरण घटना के स्थान के अनुसार कया जाता है।
  - मौजूदा RBD अधिनियम, 1969 की वभिन्न धाराओं के प्रावधानों को सरल बनाने और इसे लोगों के अनुकूल बनाने की दृष्टि से संशोधन का प्रस्ताव कया गया है।
- **प्रस्तावति संसोधन:**
  - एकीकृत डेटा बनाए रखने के लिये मुख्य रजसिटरार:
    - मुख्य रजसिटरार (राज्यों द्वारा नयुक्त) राज्य स्तर पर एक एकीकृत डेटाबेस बनाए रखेंगे और इसे [भारत के रजसिटरार जनरल](#)

**(RJI)** (गृह मंत्रालय के तहत) द्वारा बनाए गए 'राष्ट्रीय स्तर' पर डेटा के साथ एकीकृत करेंगे।

◦ वर्तमान में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण राज्यों द्वारा नयुक्त स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है।

◦ **वर्षीय उप पंजीयक:**

- "वर्षीय उप-रजिस्ट्रारों की नयुक्ति, आपदा की स्थिति में उनकी किसी या सभी शक्तियों और कर्तव्यों के साथ मृत्यु के पंजीकरण तथा उसके उद्धारण जारी करने के लिये निर्धारित की जा सकती है।"

■ **डेटा का अपेक्षित उपयोग:**

- **राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार (नागरिकता अधिनियम, 1955)** और चुनावी रजिस्ट्रार (नरिवाचकों का पंजीकरण नियम, 1960) तथा **आधार (आधार अधिनियम, 2016)**, **राशन कार्ड** (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013), पासपोर्ट (पासपोर्ट अधिनियम) एवं ड्राइविंग लाइसेंस डेटाबेस [मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019] को अद्यतन करने हेतु।
- एनपीआर में पहले से ही 119 करोड़ नविसयों का डेटाबेस है और नागरिकता नियम, 2003 के तहत **यह राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार (NRC)** के निर्माण की दशा में पहला कदम है।
- NPR अपडेट और जनगणना के पहले चरण का एक साथ संचालन आरजीआई द्वारा किया जाएगा।

**स्रोत: द हट्टि**

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/registration-of-births-and-deaths-act-1969>

